

पत्र संख्या:-अपर आयु0(पुलिस)/ मानदेय/ 2022-23//

652

//राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 28 फरवरी, 2023

::-आदेश:-

शासनादेश संख्या-1172/6-पु-1-10-अ-600(41)/07,दिनांक 09-04-2010 के द्वारा पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को राजकीय अवकाश, रविवार व द्वितीय शनिवार का उपभोग न कर पाने के एवज में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की स्वीकृति उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रदान की गयी है।

राज्य कर मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मियों को राजकीय अवकाशों में आवश्यकतानुसार ड्यूटी किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश के अनुसार उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पुलिस कर्मियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पुलिस कर्मियों का नाम/ पदनाम	पी0एन0ओ0 नं0	मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण दिनांक	गहन जनपद
1-	श्री रामबाबू मिश्रा, मुख्य आरक्षी	112110156	14-12-2021	कन्नौज

यह आदेश आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई0पी0एस0

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या:व दिनांक: उक्ता

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक जनपद कन्नौज।
- 3- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 5- उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 6- लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ